3/7/24 पक्षा. पेश हुई प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अनु० प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को न्यायालय हाजिर होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई तदपश्चात कोई उपस्थित नहीं। चूंकि दावा वाली अफ हाजरी अफ पेशी में स्वीय किया या गया है अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर स्वीय किया जाता है।

पक्षा. फैसला शुमार हो, नकल में क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:12 IST
Reason: SelfAttested

24/6/24 पक्षा. [illegible] अनु० प्रार्थी [illegible] को उपस्थित